दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः अनापत्ति/सम्बद्धता/2020/ 244

दिनांक 29/02/2020

अनापत्ति पत्र

मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि शासनादेश संख्या 2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुसार स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 29.02.2020 को हुई। इस बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि निम्नलिखित सोसाइटी/महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1.	अ	संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम	आशुतोष शिक्षा एवं सेवा संस्थान, कैलाशकुन्ज, दाउदपुर, गोरखपुर
	ब	पंजीकरण तिथि	08.03.1989
	स	पंजीकरण वैधता तिथि	07.03.2019 तक
2.	अ	महाविद्यालय का नाम	कैलाश इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट गीडा गोरखपुर
	ब	पूर्व संचालित महाविद्यालय की स्थिति में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का नाम	नया महाविद्यालय
	स	स्थायीकरण की स्थिति	लागू नहीं
3.		अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु	स्नातक
4.	अ	अनापत्ति से सम्बन्धित संकाय	कला एवं वाणिज्य
	ब	अनापत्ति से सम्बन्धित विषय	स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 एवं बी0काम0 पाठ्यक्रम तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में

1. जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर के पत्र संख्या 1357/भू0व्यव–2020 दिनांक 22 फरवरी, 2020 के अनुसार कार्यालय उपजिलाधिकारी सहजनवां, गोरखपुर के पत्रांक 255/एस0टी0–2019 दिनांक 28 फरवरी 2020 एवं पत्रांक 2090/आशु0लि0–2020 दिनांक 19 फरवरी 2020 की जॉच आख्या के अनुसार महाविद्यालय के नाम ग्राम झुंगिया तप्पा रेट परगना भैवापार , तहसील सहजनवां, जिला गोरखपुर में क्रमशः आराजी संख्या 77/0.425 हे0 व गाटा सं0 78/0.0.319 हे0 व आराजी सं0 79/0.642हे0 स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1.386 हे0 है। जो राजस्व अभिलेख में गीडा के नाम अंकित है। नकल खतौनी संलग्न है। उक्त महाविद्यालय गीडा के भूखण्ड सं0 BL-1 व BL-2 सेक्टर 9 जिसका क्षेत्रफल कमशः 11854 वर्ग मी0 व 11783 वर्ग मी0 मे स्थित है।उक्त भूमि गीडा प्राधीकरण द्वारा अधिग्रहित करने के पश्चात राजस्व नक्शे के सभी मेडो को मौके पर समाप्त कर के गीडा के नियमानुसार प्लाट विकसित कर अपना नम्बर डालकर संस्थान को आवंटित किया गया है। सभी भूखण्ड आपस मे सटे है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.386 हे0 है।जिसका नजरी नक्शा संलग्न है।

महाविद्यालय के द्वारा ग्रामसभा की भूमि पर अतिकमण नही है। महाविद्यालय के भूखण्डो का विधिक बंटवारा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधीकरण के नियमानुसार किया गया है। महाविद्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गीडा के संस्थागत सेक्टर 9 में स्थित है। महाविद्यालय को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई 19 मीटर है।

अतः समिति ने पत्रावली में संलग्न अभिलेखों एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्र के साथ संलग्न उप जिलाधिकारी महोदय की आख्या व संलग्न राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त समिति द्वारा **कैलाश इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट गीडा गोरखपुर के स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 एवं बी0काम0 पाठ्यक्रम तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम** में अनापत्ति के संबंध में महाविद्यालय के नाम अंकित भूमि का विधिक बँटवारा, खाता एवं नक्शे में तरफ/चौहद्दी अंकित कराने एवं प्रस्तावित प्रमाण पत्र/अभिलेख विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने के शर्तो के अधीन सशर्त अनापत्ति प्रदान करने की संस्तुति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है।

यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाता है कि अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता पायी जाती है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा उपर्युक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त कमियों का निराकरण सम्बद्धता प्रदान किये जाने की तिथि (दिनांक 30.05.2019) से पूर्व नहीं किया जाता है, तो यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी और सम्बद्धता प्रदान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

2. महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। महाविद्यालय को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई 19 मीटर है।
3. महाविद्यालयों की भूमि के समस्त गाटों की संयुक्तता एवं नजरी नक्शा की स्थिति–उपलब्ध है।
4. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की वचनबद्धता रू0 100/– (रू0 एक सौ) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से लिखित अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
5. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेंगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेंगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्या 3075/सत्तर –2–2002–2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

Manager
Kailash Institute of Management
GIDA, Gorakhpur

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

7. उक्त सोसाइटी / संस्थान / महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उत्तर प्रदेश शासन व विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
8. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी प्रकार की लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
9. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि भवन, शिक्षकों एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान / महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. शासनादेश संख्या: 4070 / सत्तर–2–2011–16(686) / 2011 (उच्च शिक्षा अनुभाग–2) दिनांक 20.04.2012 के अनुसार महाविद्यालय के सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई ग्रामीण एवं शहरी क्षैत्र के अनुसार क्रमशः न्यूनतम 15 एवं 20 फिट होना अनिवार्य है।
11. शासन के पत्र संख्या 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2013 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालयों को किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व संस्था में विश्वविद्यालय से यू0जी0सी0 अर्हताधारी योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात होने चाहिए।
12. **उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(10) के प्राविधान के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश नहीं किया जायेगा।**
13. सम्बद्धता के निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर निरीक्षण द्वारा परीक्षण कर लिया जाय–
    1. भवन / चहारदीवारी के निर्मित होने की स्थिति / मानचित्र की स्वीकृति।
    2. सम्पर्क मार्ग की चौडाई।
    3. सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि का अतिक्रमण न किया जाना।
    4. आवेदन पत्र की प्रविष्ठियों की शुद्धता।
    5. विभिन्न गाटों की संयुक्तता।
    6. बैंक खाते में अपेक्षित धनराशि का होना।
    7. वांछित भूमि की खतौनी को उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना।
    8. सोसाइटी की वैधता।
    9. शिक्षकों की नियुक्ति।
    10. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन।
    11. अग्निशमन व्यवस्था।
    12. यह अनापत्ति वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, पत्रजातों / शपथपत्र एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त / अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है अथवा वह असत्य पाया जाता है तो इसके लिए सचिव / प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव / प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।
    13. महाविद्यालय के उपरोक्त विषयों में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की निरीक्षण आख्या में संपर्क मार्ग के संबंध में स्पष्ट आख्या प्रस्तुत किया जाये।

डॉ0(ओम प्रकाश)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
4. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्धक, **कैलाश इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट गीडा गोरखपुर**
7. अधीक्षक, सम्बद्धता अनुभाग को एम0ओ0सी0 रजिस्टर में चस्पा कराने के निर्देशों के साथ।
8. समन्वयक, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनापत्ति पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव

Manager
Kailash Institute of Management
GIDA, Gorakhpur